



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील अन्तर्गत धारा 413 संख्या- 414/2026

जयराम

..... अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता	: अजीत कुमार सिंह चौहान
प्रतिवादी (गण) की ओर से अधिवक्ता	: जी.ए.

न्यायालय संख्या- 46

माननीय न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-द्वितीय

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-द्वितीय द्वारा पारित)

1- अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. सिंह चौहान तथा राज्य-विपक्षी संख्या 1 की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना।

2- इस आपराधिक अपील में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 11, शाहजहांपुर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 717 of 2013, (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम गयादीन एवं अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 399 of 2023, धारा 147, 304 भा.दं.सं., थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर से उद्भूत है, में दिनांक 02.04.2026 को पारित निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अवर न्यायालय ने अभियुक्त-विपक्षी संख्या 2 से 5 के विरुद्ध विरचित आरोपों से उन्हें दोषमुक्त कर दिया है।

3- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता सुनील ने दिनांक 17.08.2023 को सायं 6:30 बजे थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर में एक लिखित रिपोर्ट/तहरीर (प्रदर्श क-10) प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि दिनांक 16.08.2013 को गयादीन की बकरी उसके खेत में घुस गई और उसकी फसल को क्षतिग्रस्त कर दिया। जब शिकायतकर्ता ने उसे ऐसा करने से मना किया, तो गयादीन एक डंडा लेकर आया और शिकायतकर्ता को पीटने लगा। इसी बीच उसका

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चाचा मूला वहां आया और बीच-बचाव करने का प्रयास किया, तब गयादीन ने उसके चाचा मूला के सिर पर डंडे से प्रहार किया। उसका चाचा नीचे गिर गया। तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया, किंतु रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। यह घटना रात्रि 9:00 बजे की है।

4- उपर्युक्त लिखित रिपोर्ट/तहरीर (प्रदर्श क-10) के आधार पर अभियुक्त-विपक्षियों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 399/2013, धारा 304 भा.दं.सं. के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क-2) दिनांक 17.08.2013 को सायं 6:30 बजे थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर में दर्ज की गई तथा इसे दिनांक 17.08.2013 की जी.डी. संख्या 08 में सायं 6:30 बजे दर्ज किया गया।

5- विवेचना अधिकारी पीडब्लू-8 अवनीश गौतम ने पंचायतनामा की कार्यवाही की तथा पंचायतनामा (प्रदर्श क-4) सहित अन्य दस्तावेज तैयार किए और मृतक के शव को शव-परीक्षण हेतु भेजा।

6- डॉ. विक्रमजीत सिंह, पीडब्लू-6 ने दिनांक 17.08.2013 को अपराह्न 4:25 बजे मृतक मूला के शव का शव-परीक्षण किया, जिसकी आयु लगभग 55 वर्ष थी। मृतक की लंबाई लगभग 156 सेमी., वजन 62 किलोग्राम तथा शरीर का गठन सामान्य था। मृतक के शरीर के ऊपरी एवं निचले भागों में शवोत्तर रक्तस्रावी चिह्न उपस्थित थे तथा आंखें एवं मुंह बंद थे।

मृतक की दाईं कनपटी पर 6.0 सेमी. x 1.0 सेमी. का विदीर्ण घाव मौजूद था, जो बाएं कान के ऊपर एवं पीछे 7.0 सेमी. की दूरी पर था। इसके नीचे पार्श्विका अस्थि टूटी हुई थी तथा उसके नीचे रक्त का थक्का जमा हुआ पाया गया। उसके मस्तिष्क का वजन 1220 ग्राम था, दांत 16/16 थे। दोनों फेफड़े रक्तसंकुलित थे। बाएं फेफड़े का वजन 320 ग्राम तथा दाएं फेफड़े का वजन 350 ग्राम था। हृदय का दायां कक्ष भरा हुआ तथा बायां कक्ष खाली था। हृदय का वजन 240 ग्राम था। आमाशय में 100 ग्राम खाद्य पदार्थ मौजूद था। यकृत रक्तसंकुलित था, जिसका वजन 1050 ग्राम था तथा पित्ताशय आधा भरा हुआ था। प्लीहा रक्तसंकुलित थी तथा उसका वजन 140 ग्राम था। दोनों गुर्दे रक्तसंकुलित थे, दाएं गुर्दे का वजन 130 ग्राम तथा बाएं गुर्दे का वजन 110 ग्राम था। मूत्राशय खाली था।

मृतक की मृत्यु का कारण शव परीक्षणकर्ता द्वारा अचेतनावस्था बताया गया, जो मृत्यु-पूर्व सिर पर लगी चोट के कारण हुई थी। मस्तिष्क की झिल्लियां फटी हुई थीं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शव परीक्षणकर्ता की राय में मृतक की मृत्यु लगभग एक दिन पूर्व हुई हो सकती है, अर्थात् मृतक की मृत्यु दिनांक 16.08.2013 को अपराह्न 4:25 बजे हुई थी। शव परीक्षणकर्ता की राय में मृतक को लगी एकमात्र चोट बाईं ओर किसी कुंद वस्तु पर गिरने से भी कारित हो सकती थी।

7- विवेचना अधिकारी, हेड कांस्टेबल अवनीश गौतम पीडब्लू-8 ने विवेचना अपने हाथ में ली। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, स्थल-नक्शा तैयार किया, शिकायतकर्ता तथा अन्य साक्षियों के बयान दर्ज किए और शव-परीक्षण रिपोर्ट, पंचायतनामा तथा अन्य कागजात संकलित किए। विवेचना के दौरान सूचनाकर्ता सुनील तथा सोनपाल एवं सीताराम की भी संलिप्तता सामने आई।

8- विवेचना पूर्ण होने के पश्चात दिनांक 15.11.2013 को गयादीन, सोनपाल, सीताराम एवं सुनील, अर्थात् यहां अभियुक्त-विपक्षी संख्या 2 से 5 के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 20.11.2013 को उस पर संज्ञान लिया गया और प्रकरण सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात संबंधित सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 15.02.2014 को अभियुक्त-विपक्षी संख्या 2 से 5 के विरुद्ध धारा 147 एवं 304 भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोप विरचित किए गए। अभियुक्तों ने दोषी होने से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

9- अपने प्रकरण को सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने पीडब्लू-1 रघुनंदन (मृतक के चचेरे साढ़ू), पीडब्लू-2 रामसरन (मृतक के चचेरे भाई), पीडब्लू-3 मेवाराम (मृतक के पड़ोसी), पीडब्लू-4 श्रीमती श्रीकांति (मृतक की पुत्री), पीडब्लू-5 महाराज (मृतक के दामाद तथा पीडब्लू-4 के पति), पीडब्लू-6 डॉ. विक्रमजीत सिंह (शव परीक्षणकर्ता), पीडब्लू-7 जयराम (मृतक के सगे भाई), पीडब्लू-8 हेड कांस्टेबल अवनीश गौतम (जी.डी. लेखक) तथा पीडब्लू-9 रामवीर सिंह (प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक) को परीक्षित किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अपने-अपने मौखिक साक्ष्य दिए तथा अभियोजन के 10 दस्तावेज भी सिद्ध किए, जिन्हें प्रदर्श के रूप में अंकित किया गया। उनका विवरण निम्नवत् सारणीबद्ध है:-

क्रम सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति	सिद्ध दस्तावेज
		मृतक के चचेरे साढ़ू,	
पीडब्लू-1	रघुनंदन	जो प्रत्यक्षदर्शी थे, -	
		किंतु पक्षद्रोही हो गए	

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



क्रम सं. नाम साक्ष्य की प्रकृति सिद्ध दस्तावेज

पीडब्लू-2 रामसरन मृतक के चचेरे भाई,
जो प्रत्यक्षदर्शी थे, —
किंतु पक्षद्रोही हो गए

पीडब्लू-3 मेवाराम मृतक के पड़ोसी, जो —
प्रत्यक्षदर्शी हैं

पीडब्लू-4 श्रीमती श्रीकांति मृतक की पुत्री एवं —
प्रत्यक्षदर्शी

पीडब्लू-5 महाराज मृतक के दामाद एवं —
प्रत्यक्षदर्शी

पीडब्लू-6 डॉ. विक्रमजीत सिंह (शव परीक्षणकर्ता) मृतक का शव-परीक्षण करने वाले चिकित्सक शव-परीक्षण रिपोर्ट, प्रदर्श क-1

पीडब्लू-7 जयराम मृतक के सगे भाई —
एवं प्रत्यक्षदर्शी

पीडब्लू-8 हेड कांस्टेबल अवनीश गौतम औपचारिक साक्षी/विवेचना अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श क-2; जी.डी. प्रविष्टि, प्रदर्श क-3; पंचायतनामा, प्रदर्श क-4; चालान नाश, प्रदर्श क-5; फोटो नाश, प्रदर्श क-6; मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र, प्रदर्श क-7; स्थल-नक्शा, प्रदर्श क-8; आरोप-पत्र, प्रदर्श क-9

पीडब्लू-9 रामवीर सिंह (कांस्टेबल) औपचारिक साक्षी (प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखित रिपोर्ट/तहरीर, प्रदर्श क-10 के लेखक)

10- अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियोजन द्वारा भरोसा किए गए सभी प्रतिकूल/आरोपात्मक परिस्थितियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधिदेश के अनुसार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



घटना के संबंध में उनका पक्ष जानने हेतु प्रश्नोत्तर के रूप में अभियुक्त-विपक्षी संख्या 2 से 5 के समक्ष रखा गया। उन्होंने एक-एक करके उनसे किए गए सभी सुझावों से इनकार करते हुए बार-बार कहा कि यह झूठ है अथवा उन्हें झूठे तौर पर फंसाया गया है अथवा अभियोजन का प्रकरण झूठा है अथवा अभियोजन साक्षियों के बयान झूठे हैं। अभियुक्त गयादीन ने अपने अतिरिक्त बयान में विशिष्ट रूप से यह पक्ष लिया कि वह निर्दोष है, क्योंकि घटना के समय सह-अभियुक्त सुनील, सोनपाल, सीताराम आदि उसे पीट रहे थे और मृतक मूलाराम उसे बचाने के लिए आया था, तब इन अभियुक्तों ने मूलाराम को भी डंडों से पीटा था। बाद में सह-अभियुक्त सुनील ने स्वयं तथा अपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए घायल मूलाराम को अपने बोलैरो वाहन से थाना जलालाबाद ले जाकर उसके विरुद्ध झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी। उस समय अभियुक्त सुनील मृतक मूलाराम के परिवार के सदस्यों को अपने साथ नहीं ले गया था। अभियुक्त सोनपाल ने अपने अतिरिक्त बयान में विशिष्ट रूप से अनुपस्थिति की दलील लेते हुए कहा कि घटना के समय वह तिलहर चीनी मिल स्थित अपने आवास पर था, जो घटनास्थल से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। अभियुक्त सीताराम ने भी अनुपस्थिति की दलील ली और कहा कि घटना के समय वह अपने गांव बच्चूपुर में था, जो घटनास्थल से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। उसे इसलिए झूठा फंसाया गया है क्योंकि वह अभियुक्त सोनपाल का दामाद है। अभियुक्त सुनील ने विशिष्ट रूप से यह पक्ष लिया कि वह निर्दोष है और उसी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने मृतक मूलाराम को अपने बोलैरो वाहन से उपचार हेतु ले जाया था, जो उसकी सद्भावना को दर्शाता है। तथापि, सह-अभियुक्त गयादीन ने घटना में मृतक मूलाराम पर हमला किया था।

11- आक्षेपित निर्णय दिनांक 02.04.2026 द्वारा अवर न्यायालय ने अभियुक्त-विपक्षियों को धारा 147 एवं 304 भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

12- अतः उक्त निर्णय से व्यथित होकर राज्य-अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

13- अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. सिंह चौहान ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित निर्णय स्पष्टतः अवैध एवं त्रुटिपूर्ण है और इसलिए इस न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने योग्य है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14- अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन ने अभियुक्त-विपक्षी संख्या 2, 3, 4 एवं 5 के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सफलतापूर्वक सिद्ध किया है। पीडब्लू-3 मेवाराम, पीडब्लू-4 श्रीकांति, पीडब्लू-5 महाराज तथा पीडब्लू-7 जयराम ने निरंतर यह बयान दिया है कि दो पक्षों के बीच, अर्थात् एक ओर गयादीन तथा दूसरी ओर सुनील के पक्ष के लोगों के बीच लड़ाई हुई थी। मृतक ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया, तथापि दोनों पक्षों के सदस्यों द्वारा उस पर हमला किया गया और उसके सिर पर घातक प्रहार किया गया। उपर्युक्त मृत्यु-पूर्व सिर की चोट के परिणामस्वरूप मृतक मूलाराम की मृत्यु हुई। चिकित्सीय साक्ष्य उपर्युक्त साक्षियों द्वारा प्रस्तुत अभियोजन की कहानी की पुष्टि करता है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अवर न्यायालय ने साक्ष्य का गलत पठन किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का उसके सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करने में भी विफल रहा है। अभियोजन ने अपने प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध किया है, किंतु अवर न्यायालय ने विपक्षी संख्या 2 से 5 के पक्ष में दोषमुक्ति का निष्कर्ष गलत रूप से दर्ज किया है। अतः आक्षेपित निर्णय इस न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने योग्य है और इस अपील को स्वीकार किया जाए।

15- दूसरी ओर, राज्य-विपक्षी संख्या 2 से 5 की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने वर्तमान अपील का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में विधि अथवा तथ्य की ऐसी कोई अवैधानिकता नहीं है, जिससे इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो। अवर न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में अभियोजन के प्रकरण का सूक्ष्मता से परीक्षण किया है और प्रकरण के किसी भी पहलू को अछूता नहीं छोड़ा है। अंततः यह तर्क दिया गया है कि आक्षेपित निर्णय एवं आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता है। अतः विद्वान ए.जी.ए. ने वर्तमान अपील को खारिज किए जाने का अनुरोध किया।

16- हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-विपक्षी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना तथा उपर्युक्त तर्कों के आलोक में अभिलेख का भी सावधानीपूर्वक परिशीलन किया।

17- अभियुक्तों को दोषमुक्त करते समय अवर न्यायालय ने निम्नलिखित कारण/निष्कर्ष दर्ज किए हैं:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



i- स्वतंत्र साक्षी रघुनंदन एवं पीडब्लू-2 रामसरन ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया।

ii- मेवाराम पीडब्लू-3 ने अपने बयान में घटना का समय सायं 7:00 बजे बताया है तथा स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि विवाद दो पक्षों के बीच था, अर्थात् एक ओर गयादीन और दूसरी ओर सोनपाल था। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें डंडों का प्रयोग किया गया। उसने आगे कहा कि मृतक मूला को दोनों पक्षों के व्यक्तियों द्वारा डंडों से पीटा गया। उसने यह भी निष्पक्ष रूप से कहा कि अभियुक्त सुनील मृतक मूला को अपने बोलैरो वाहन से अस्पताल ले गया था। विवेचना के दौरान धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दर्ज उसके बयान की तुलना में उसके बयान में अनेक सुधार किए गए हैं, इसलिए उसके बयान को विश्वसनीय नहीं पाया गया।

iii- श्रीकांति पीडब्लू-4, जो मृतक की पुत्री थी, ने घटना का समय रात्रि 9:00 बजे बताया है। उसके बयान को स्वतंत्र एवं स्वाभाविक नहीं पाया गया।

iv- मेवाराम पीडब्लू-5, जो मृतक का दामाद तथा श्रीकांति पीडब्लू-4 का पति है, ने घटना का समय रात्रि 8:00-9:00 बजे बताया है, तथापि उसने प्रतिपरीक्षण में निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि घटना का स्थान उस स्थान से लगभग आधा किलोमीटर दूर था, जहां वह घटना के समय बैठा हुआ था और वह घटनास्थल पर नहीं गया था।

v- जयराम पीडब्लू-7, जो मृतक का सगा भाई है, ने प्रतिपरीक्षण में निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि जब उसके भाई मूला को पीटा जा रहा था, तब वह घर के अंदर था और घटनास्थल पर नहीं गया था। उसकी ओर से की गई उपर्युक्त स्वीकृति उसके बयान पर गंभीर संदेह उत्पन्न करती है। यह पाया गया कि वास्तविक मारपीट के समय वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था, अतः उसका बयान विश्वसनीय एवं भरोसा किए जाने योग्य नहीं है।

vi- पीडब्लू-3, पीडब्लू-4, पीडब्लू-5 एवं पीडब्लू-7 मृतक के रिश्तेदार हैं, तथापि उनके बयानों में घटना के समय, घटना के स्थान, जिस स्थान से उन्होंने घटना को देखा, किसने किस पर प्रहार किया, कौन घर के अंदर था और कौन बाहर था, के संबंध में अनेक विरोधाभास हैं। इन अभियोजन साक्षियों के बयानों से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि यह

एकतरफा हमला नहीं था, बल्कि दो पक्षों के बीच हुई लड़ाई की घटना थी। इस पृष्ठभूमि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

में अभियोजन के लिए यह आवश्यक था कि वह किसी विशिष्ट अभियुक्त पर घातक चोट कारित करने का आरोप निर्धारित करे तथा उसके पीछे के उद्देश्य को भी स्थापित करे, किंतु अभियोजन ऐसा करने में विफल रहा है।

vii- अभियोजन साक्ष्य में यह बात सामने आई है कि अनेक अभियुक्तों ने मृतक पर डंडों से प्रहार किया था, तथापि मृतक के सिर पर केवल एक मृत्यु-पूर्व चोट पाई गई, जो घातक थी। शव परीक्षणकर्ता ने राय दी है कि मृत्यु-पूर्व चोट किसी कठोर एवं कुंद सतह पर गिरने से भी कारित हो सकती थी।

viii- अभियोजन साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से सामने आया है कि अभियुक्त सुनील ही मृतक को अपने बोलैरो वाहन से अस्पताल ले गया था तथा उसी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। इस पृष्ठभूमि में यह अपेक्षित नहीं था कि मृतक के निकट संबंधी एवं परिवार के सदस्य, अर्थात् पीडब्लू-3 मेवाराम, पीडब्लू-4 श्रीकांति, पीडब्लू-5 महाराज तथा पीडब्लू-7 जयराम, न तो मृतक को चिकित्सीय उपचार हेतु अस्पताल ले जाएं और न ही घटना की सूचना पुलिस को दें। परिणामस्वरूप, घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है।

ix- उपर्युक्त निष्कर्ष दर्ज करने के पश्चात अवर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि मृतक को घातक चोट अभियुक्त-विपक्षियों द्वारा ही कारित की गई थी। यह दो पक्षों के बीच हुई लड़ाई की घटना थी, जिसमें मृतक बीच-बचाव करने आया और पक्षों के बीच शांति स्थापित करने के प्रयास में घायल हो गया। आपराधिक विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि यदि दो संभावनाएं हों, जिनमें से एक अभियुक्त के दोष की ओर संकेत करती हो और दूसरी उनकी निर्दोषिता की ओर, तो अभियुक्त के पक्ष में जाने वाली संभावना को अपनाया जाना चाहिए। वर्तमान प्रकरण में मौखिक बयानों में असंगतियां, हितबद्ध साक्षियों की स्थिति, प्रत्यक्षदर्शी विवरण के संबंध में संदेह, घटना का दो पक्षों के बीच पारस्परिक लड़ाई का स्वरूप तथा चिकित्सीय साक्ष्य की सीमाएं, सामूहिक रूप से युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करती हैं, जिसका लाभ अभियुक्तों को दिया जाना चाहिए।

18- उपर्युक्त निष्कर्ष दर्ज करने के पश्चात अवर न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन अभियुक्त-विपक्षियों के विरुद्ध विरचित आरोपों को सिद्ध करने में विफल रहा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19- दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप की सीमा पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि दो दृष्टिकोण संभव हों, जिनमें से एक दोषमुक्ति का समर्थन करता हो और दूसरा दोषसिद्धि का संकेत करता हो, तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय को अवर न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए दोषमुक्ति के आदेश को उलटना नहीं चाहिए। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के **चंद्रप्पा एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, 2007 (4) एससीसी 415 : एआईआर 2007 एससीसी (पूरक) 111** के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है।

20- दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने बाबू साहेबगौड़ा रुद्रगौड़र बनाम कर्नाटक राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी561 के प्रकरण में निम्नवत् टिप्पणी की है:-

"39- अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्त के पक्ष में विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए दोषमुक्ति के निर्णय को उलटने के लिए अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित सिद्धांतों की सीमाओं के भीतर किया जाना चाहिए:-

(a)- दोषमुक्ति का निर्णय प्रत्यक्षतः विकृतता से ग्रस्त हो;

(b)- उक्त निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य के गलत पठन/विचार न किए जाने पर आधारित हो;

(c)- दो युक्तियुक्त दृष्टिकोण संभव न हों और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से केवल वही दृष्टिकोण संभव हो, जो अभियुक्त के दोष की ओर संकेत करता हो।

40- अपीलीय न्यायालय को दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए, यदि वह विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए दोषमुक्ति के निर्णय को उलटने का इच्छुक है, तो उसे उपर्युक्त कारकों के संबंध में प्रासंगिक निष्कर्ष दर्ज करने होंगे।"

21- उपर्युक्त उल्लिखित निर्णय में यह भी टिप्पणी की गई है कि तथापि, अपीलीय न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि दोषमुक्ति के प्रकरण में अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषिता की दोहरी उपधारणा होती है। प्रथम, आपराधिक न्यायशास्त्र के इस मूलभूत सिद्धांत के अंतर्गत उसे निर्दोषिता की उपधारणा प्राप्त है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा, जब तक कि सक्षम विधि न्यायालय द्वारा उसका दोष सिद्ध न हो जाए। द्वितीय, अभियुक्त द्वारा दोषमुक्ति प्राप्त कर लेने के पश्चात उसकी निर्दोषिता की उपधारणा विचारण न्यायालय द्वारा और अधिक सुदृढ़,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुनः पुष्ट एवं मजबूत हो जाती है। यह भी टिप्पणी की गई है कि अपीलीय न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश में केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है, जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर केवल यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियुक्त का दोष युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध है और कोई अन्य निष्कर्ष संभव नहीं है।

22- उच्चतम न्यायालय ने गामिनी बाला कोटेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2009) 10 एससीसी 636 के प्रकरण में टिप्पणी की है कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप दुर्लभ एवं अपवादात्मक परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय के लिए साक्ष्य तथा विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का पुनर्मूल्यांकन करना खुला है। तथापि, यह केवल उन प्रकरणों तक सीमित है, जहां विचारण न्यायालय का निर्णय विकृत हो। उच्चतम न्यायालय ने आगे यह घोषित किया कि विधि में समझे जाने वाले "विकृत" शब्द का अर्थ "साक्ष्य के भार के विरुद्ध" समझा गया है। यदि दो दृष्टिकोण हों और विचारण न्यायालय ने उनमें से एक दृष्टिकोण अपनाया हो, तो केवल इस आधार पर कि दूसरा दृष्टिकोण भी संभावित है, अपीलीय न्यायालय को दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं होगा।

23- उपर्युक्त उल्लिखित सुस्थापित विधिक स्थिति के आलोक में आक्षेपित निर्णय के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि वर्तमान प्रकरण मृतक मूलाराम की ऐसी आपराधिक मानव वध से संबंधित है, जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता है। अत्यधिक सावधानी बरतते हुए तथा यह भी पता लगाने के लिए कि क्या पीडब्लू-3 मेवाराम, पीडब्लू-4 श्रीकांति, पीडब्लू-5 महाराज एवं पीडब्लू-7 जयराम के बयानों के अनुसार आरोपित धाराओं के आवश्यक तत्व परिलक्षित/पूरे होते हैं अथवा नहीं, हमने आक्षेपित निर्णय में लिपिबद्ध उपर्युक्त साक्षियों के बयानों का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

24- मेवाराम पीडब्लू-3 ने अपने बयान में घटना का समय सायं 7:00 बजे बताया है। उसने आगे कहा है कि मृतक उसकी पत्नी का बड़ा भाई था, जो गयादीन को बचाने के लिए गया था और तब अभियुक्त-विपक्षी संख्या 3, 4, 5 एवं नन्हे @ कटौवा द्वारा मूलाराम पर हमला किया गया। उस पर डंडों से हमला किया गया। उसने आगे बयान दिया कि दोनों पक्षों के सदस्यों द्वारा मूलाराम को बुरी तरह पीटा गया। जब वह घटनास्थल पर पहुंचा, तब मूलाराम गयादीन के घर के सामने पड़ा हुआ था और उस समय जीवित था। अभियुक्त सोनपाल पुलिस को बुलाकर लाया,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जो आधे घंटे के भीतर घटनास्थल पर पहुंच गई। इसके पश्चात मूलाराम को अभियुक्त-विपक्षी सोनपाल अपने बोलैरो वाहन से शाहजहांपुर ले गया, किंतु रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई।

25- श्रीकांति पीडब्लू-4 मृतक की पुत्री है, जिसने घटना का समय रात्रि 9:00 बजे बताया है। उसने यह भी कहा कि उसके पिता ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया, किंतु दूसरों को बचाते समय अभियुक्त-विपक्षी संख्या 3, 4 एवं 5 द्वारा उन पर डंडों से हमला किया गया। उसके पिता के सिर के पीछे की ओर चोट लगी और वह नीचे गिर गए। अभियुक्त-विपक्षी सुनील उसके पिता को अचेत अवस्था में अपने बोलैरो वाहन से ले गया और झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसने संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने सोनपाल, सुनील, सीताराम एवं गयादीन को अभियुक्त के रूप में नामित किया था। उसने रिपोर्ट की एक प्रति भी प्राप्त की थी। तथापि, आश्चर्यजनक रूप से इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि उसे घटना की जानकारी पीडब्लू-3 मेवाराम से मिली थी और जानकारी प्राप्त होने के पश्चात वह बस से घटनास्थल पर गई थी। अतः यह स्पष्ट है कि पीडब्लू-3 घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और सूचना प्राप्त होने के पश्चात ही घटनास्थल पर पहुंचा था। मृतक की पुत्री होने के कारण उसने एक हितबद्ध साक्षी के रूप में अभियोजन की कहानी के अनुरूप बयान दिया है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि उसने घटना के संबंध में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। अतः उसका बयान विश्वसनीय नहीं है।

26- महाराज पीडब्लू-5 ने घटना का समय रात्रि 8:00-9:00 बजे बताया है। उसने आगे कहा कि मूलाराम ने दोनों पक्षों के बीच बीच-बचाव करने का प्रयास किया, किंतु अभियुक्त-विपक्षी संख्या 2, 3, 5, मुखिया एवं पुसेलाल द्वारा उसे डंडों से पीटा गया। सिर में चोट लगने के पश्चात मूलाराम घटनास्थल पर गिर गया और उसके सिर में लगी चोट से रक्त बह रहा था। उस समय वह अपनी पत्नी श्रीकांति एवं बच्चों के साथ अपने घर के अंदर था। शोर सुनने के पश्चात वे बाहर आए, तब उसने घटना देखी। अभियुक्त-विपक्षी सुनील अपने ससुर को चिकित्सीय उपचार हेतु अपने बोलैरो वाहन से अस्पताल ले गया। भय के कारण वह मूलाराम के साथ नहीं गया। बाद में उसे ज्ञात हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई है। तथापि, उसने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा है कि घटनास्थल उस स्थान से आधा किलोमीटर दूर था, जहां वे बैठे हुए थे। वह घटनास्थल पर नहीं गया था, अर्थात् यह साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। उसने आगे बयान दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट मूलाराम के भाई जयराम द्वारा दर्ज कराई गई थी। वह जयराम के साथ संबंधित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने गया था। स्वीकृत रूप से, जयराम ने इस प्रकरण में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी।

27- पीडब्लू-7 जयराम (जिसे आक्षेपित निर्णय के पैरा-17 में गलत रूप से पीडब्लू-6 लिखा गया है) ने कहा है कि सोनपाल और गयादीन उसके दरवाजे के सामने लड़ रहे थे। उसका भाई मूलाराम उन्हें रोकने का प्रयास कर रहा था, जो गली में घटनास्थल पर जाकर बीच-बचाव करने का भी प्रयास कर रहा था। इसके बाद दोनों पक्ष डंडों से लड़ने लगे। तत्पश्चात् उन सभी ने उसके भाई को डंडों से मारा। उसके भाई को चोट लगी और वह घटनास्थल पर गिर गया। मृतक को अभियुक्त-विपक्षी सुनील अपने वाहन से ले गया। भय के कारण वे लोग बाहर नहीं गए थे। प्रातः सूचना मिलने के बाद वह थाने गया। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि जब मृतक को पीटा जा रहा था, तब वह अपने घर के अंदर था और घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। उसने आगे कहा कि उसने सुनील को मृतक को ले जाने से नहीं रोका, क्योंकि वह घर के अंदर था। अतः यह साक्षी भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है।

28- उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि श्रीकांति पीडब्लू-4, महाराज पीडब्लू-5 एवं जयराम पीडब्लू-7 घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं। पीडब्लू-4 मृतक की पुत्री है, जबकि पीडब्लू-5 मृतक का दामाद तथा पीडब्लू-7 मृतक का सगा भाई है। अतः ये सभी हितबद्ध साक्षी हैं। पीडब्लू-3 मेवाराम ने अपने बयान में कहा है कि मूलाराम को दोनों पक्षों के सदस्यों द्वारा बुरी तरह पीटा गया, जिसका अर्थ है कि मूलाराम पर डंडों से बार-बार प्रहार किया गया। तथापि, शव-परीक्षणकर्ता पीडब्लू-6 डॉ. विक्रमजीत सिंह ने मृतक के शरीर पर केवल एक मृत्यु-पूर्व सिर की चोट पाई है। अतः मेवाराम पीडब्लू-3 द्वारा सुनाई गई घटना की कहानी को अभिलेख पर उपलब्ध प्रत्यक्षदर्शी तथा दस्तावेजी चिकित्सीय साक्ष्य से कोई पुष्टि नहीं मिलती है। यह साक्षी मृतक का निकट संबंधी है, जिसने मृतक के परिवार के सदस्यों श्रीकांति पीडब्लू-4, महाराज पीडब्लू-5 एवं जयराम पीडब्लू-7 के साथ मिलकर न तो मृतक को चिकित्सीय उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया और न ही घटना की सूचना पुलिस को दी। इस साक्षी (पीडब्लू-3) का उक्त आचरण प्रथमदृष्टया संदिग्ध प्रतीत होता है। पीडब्लू-4, पीडब्लू-5 एवं पीडब्लू-7 के बयानों के अनुसार घटना का समय लगभग रात्रि 9:00 बजे था, जबकि पीडब्लू-3 के अनुसार घटना का समय रात्रि 7:00 बजे था। अतः इस साक्षी (पीडब्लू-3) का बयान विश्वास उत्पन्न नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट है कि घटना की तारीख, समय एवं स्थान पर दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें मृतक मूलाराम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया और इस लड़ाई को समाप्त करने के प्रयास में घायल हो गया। जब दोनों पक्षों के सदस्यों द्वारा कथित रूप से मृतक को डंडों से पीटा गया और मृतक को कथित रूप से केवल एक सिर की चोट आई, तो ऐसी स्थिति में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उक्त चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति की पहचान की जाए। दुर्भाग्यवश, इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। हमारे सुविचारित मत में, पीडब्लू-3 भी विश्वसनीय साक्षी नहीं है। अतः अवर न्यायालय इस निष्कर्ष पर सही रूप से पहुंचा है कि अभियोजन की कहानी में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है और इसलिए अभियुक्त-विपक्षियों को संदेह का लाभ सही रूप से प्रदान किया गया है।

29- उच्चतम न्यायालय ने भास्करराव एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2018) 6 एससीसी 591 के प्रकरण में पैरा संख्या 15 एवं 23 में निम्नवत् टिप्पणी की है:-

15- रमेश बाबूलाल दोशी बनाम गुजरात राज्य, 1996 आपराधिक एलजे 2867 के प्रकरण में इस न्यायालय ने टिप्पणी की:-

"इस न्यायालय ने बार-बार यह अभिनिर्धारित किया है कि केवल यह तथ्य कि विचारण न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न कोई दृष्टिकोण, साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर अपीलीय न्यायालय द्वारा वैध रूप से अपनाया जा सकता है, दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने का वैध एवं पर्याप्त आधार नहीं हो सकता, जब तक कि वह इस निष्कर्ष पर न पहुंचे कि साक्ष्य के विवेचन में विचारण न्यायालय का संपूर्ण दृष्टिकोण प्रत्यक्षतः अवैध था अथवा उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूर्णतः अस्थिर थे। दोषमुक्ति के निर्णय पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय को सर्वप्रथम इस प्रश्न का उत्तर तलाशना आवश्यक है कि क्या विचारण न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्टतः गलत, प्रत्यक्षतः त्रुटिपूर्ण अथवा प्रदर्शनीय रूप से अस्थिर हैं। यदि अपीलीय न्यायालय उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में देता है, तो दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

"23- प्रकरण के विश्लेषण के लिए आगे बढ़ने से पूर्व, हमें सर्वप्रथम उस मानक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसे उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय के दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई करते समय लागू करना होता है। वर्तमान प्रकरण में विचारण न्यायालय ने पूर्ण विचारण के पश्चात ठोस तर्कों के आधार पर अभियुक्तों को दोषमुक्त करने का निष्कर्ष निकाला है। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय पर अभियुक्त की निर्दोषिता की पुनः पुष्टि करने का अतिरिक्त दायित्व होता है। ऐसे प्रकरणों में अपीलीय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय से अत्यधिक सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है और दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप तभी किया जाना चाहिए, जब बाध्यकारी कारण एवं ठोस आधार विद्यमान हों। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को उस साक्ष्य का पुनरावलोकन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है, जिसके आधार पर दोषमुक्ति का आदेश पारित किया गया है, तथापि अभियुक्त की निर्दोषिता की उपधारणा विचारण न्यायालय द्वारा उसकी दोषमुक्ति से और अधिक सुदृढ़ हो जाने के कारण, उस न्यायालय के निष्कर्ष, जिसे साक्षियों को देखने तथा उनके साक्ष्य को सुनने का लाभ प्राप्त था, केवल अत्यंत ठोस एवं बाध्यकारी कारणों से ही उलटे जा सकते हैं (संदर्भ : सूरजपाल सिंह एवं अन्य बनाम द स्टेट, 1952 आपराधिक एलजे 331)।"

30- दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील के संबंध में सुस्थापित विधिक सिद्धांतों के आलोक में, हमने इस निर्णय के पैरा-17 में पुनरुत्पादित विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्षों के साथ-साथ पीडब्लू-4, पीडब्लू-5 एवं पीडब्लू-7 के घटना के प्रत्यक्षदर्शी न होने तथा पीडब्लू-3 के विश्वसनीय न होने के संबंध में हमारे द्वारा इंगित विसंगतियों पर ध्यान दिया। हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से उक्त विसंगतियों को स्पष्ट करने तथा यह बताने के लिए भी कहा कि उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों के अनुसार अभियोजन की कहानी में विद्यमान उक्त विसंगतियां किस प्रकार दूर हो जाती हैं। तथापि, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त विसंगतियों को स्पष्ट करने का निष्फल प्रयास किया।

31- उपर्युक्त की गई चर्चा के दृष्टिगत, हमें निर्णय में ऐसी कोई विकृतता नहीं मिलती है, जिससे विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया जा सके। अवर न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के समुचित मूल्यांकन का परिणाम है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य के किसी गलत पठन अथवा किसी महत्वपूर्ण साक्ष्य की अनदेखी की ओर संकेत नहीं किया जा सका। तथापि, तथ्य के अंतिम न्यायालय होने के नाते, हमने स्वयं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन यह पता लगाने के लिए किया है कि क्या आक्षेपित निर्णय में कोई विकृतता है अथवा अवर न्यायालय ने किसी महत्वपूर्ण साक्ष्य का गलत अर्थ निकाला है। तथापि, हमें अभिलेख से ऐसा कोई तथ्य प्राप्त नहीं हो सका, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अवर न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के भार के विरुद्ध है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अभिलेख पर उपलब्ध

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



साक्ष्य के अनुसार केवल वही दृष्टिकोण संभव है, जो अभियुक्त के दोष की ओर संकेत करता है।
अतः हमें धारा 413 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत दायर वर्तमान अपील को ग्रहण करने का कोई
उचित आधार नहीं मिलता है, जो परिणामतः विफल होती है और तदनुसार **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II) (न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा)

14 अगस्त, 2026

मोनिका

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।